कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल-गाज़ियाबाद

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, विक्टोरिया पार्क कॉलोनी, मेरठ

<u>निविदा सूचना संख्या 03/एस.ई./2016-17</u>

महामहिम श्रीराज्यपाल, उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्यो हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश में वर्गीकृत श्रेणी में पँजीकृत ठेकेदारों से **दिनांक 25/01/2017 को अपराह्न 03:00 बजे तक** कार्यालय **अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल-गाजियाबाद, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, विक्टोरिया पार्क कॉलोनी, मेरठ** में **प्री-क्वालिफिकेशन/टैक्नीकल** निविदाएँ आमन्त्रित की जाती है, जोकि उसी दिन **दिनांक 25/01/2017 को अपराह्न 03:30** बजे मुख्य अभियन्ता (यमुना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, ओखला नई दिल्ली-110025 द्वारा गठित समिति द्वारा उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष **अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल-गाजियाबाद, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, विक्टोरिया पार्क कॉलोनी, मेरठ** के कार्यालय में खोली जाएंगी। कार्यालय बन्द होने अथवा अवकाश होने की दशा में निविदाएँ अगले कार्य दिवस में उसी समय आमन्त्रित एवं खोली जाएंगी। प्री-क्वालिफिकेशन में सफल घोषित ठेकेदारों की सूची उसी दिन दिनांक 25/01/2017 को अपराह्न 04:30 बजे कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जाएगी। तदुपरान्त केवल प्री-क्वालिफिकेशन में सफल घोषित ठेकेदारों द्वारा फाईनेन्शियल बिड दिनांक 27/01/2017 को अपराह्न 02:00 बजे तक अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल-गाजियाबाद, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, विक्टोरिया पार्क कॉलोनी, मेरठ के कार्यालय में प्राप्त की जाएंगी तथा उसी दिन अपराह्न 03:30 बजे मुख्य अभियन्ता (यमुना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, ओखला नई दिल्ली-110025 द्वारा गठित समिति द्वारा प्री-क्वालिफिकेशन में सफल घोषित ठेकेदारों के समक्ष खोली जाएगी। कार्यालय बन्द होने अथवा अवकाश होने की दशा में फाईनेन्शियल बिड अगले कार्य दिवस में उसी समय तक प्राप्त की जाएगी और खोली जाएंगी। निविदा प्रपत्र **दिनांक 18/01/2017 से 24/01/2017 तक** किसी भी कार्य-दिवस में **पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड, शामली, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, यमुना कॉलोनी, मुजफ्फरनगर** और **सहायक अभियन्ता-द्वितीय, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, यमुना कॉलोनी, मुजफ्फरनगर के कार्यालय** एवं **पँजाब नेशनल बैंक, कोर्ट रोड शाखा, मुजफ्फरनगर** से निर्धारित मूल्य का भुगतान देकर प्राप्त किये जा सकेंगे।

निविदा प्रपत्र क्रय करते समय इच्छुक ठेकेदारों को–

1. पँजीकरण प्रमाण-पत्र मूल रूप में प्रमाणित छाया-प्रति सहित प्रस्तुत करना होगा।
2. जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र (IDT-1) मूल रूप में प्रमाणित छाया-प्रति सहित प्रस्तुत करना होगा।
3. हैसियत प्रमाण-पत्र (IDT-2) मूल रूप में प्रमाणित छाया-प्रति सहित प्रस्तुत करना होगा।
4. (IDT-3) स्व-घोषणा शपथ-पत्र 100.00 के स्टाम्प पेपर पर स्वयं के पासपोर्ट साइज फोटो सहित नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर निविदा के साथ दिया जाएगा। स्व-घोषणा शपथ-पत्र निविदा का अनिवार्य अंग होगा, बिना इसके कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	धरोहर राशि (लाख ₹)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य वैट सहित	बैंक प्रभार	सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का पता	सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता का पता	सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता का पता	ठेकेदार की वर्गीकृत श्रेणी
1	जनपद शामली में यमुना नदी के बायें किनारे पर स्थित ऊदपुर-साल्हापुर तटबन्ध के कि.मी. 1.500 से कि.मी. 2.150 के मध्य कटाव निरोधक कार्य।	₹ 70.00	6 माह	₹ 500.00	₹ 50.00	अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड, शामली, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, यमुना कॉलोनी, मुजफ्फरनगर	अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल, गाजियाबाद, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, विक्टोरिया पार्क कॉलोनी, मेरठ	मुख्य अभियन्ता (यमुना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, ओखला, नई दिल्ली-110025	एए
2	जनपद शामली में यमुना नदी के बायें किनारे पर स्थित ग्राम-नाईनंगला के स्पर संख्या-05 के लांचिग एप्रन के पुनर्स्थापना का कार्य। **(लॉट सं० 01)**	₹ 12.10	3 माह	₹ 500.00	₹ 50.00				ए एवं उच्चतर
3	जनपद शामली में यमुना नदी के बायें किनारे पर स्थित ग्राम-ऊदपुर के स्पर संख्या-01 के लांचिग एप्रेन के पुनर्स्थापना का कार्य।**(लॉट सं० 02)**	₹ 12.00	3 माह	₹ 500.00	₹ 50.00				ए एवं उच्चतर
4	जनपद शामली में यमुना नदी के बायें किनारे पर स्थित ऊदपुर-साल्हापुर तटबन्ध के कि.मी. 2.475 से कि.मी. 2.835 तक के मध्य बोल्डर पिचिंग के निर्माण का कार्य।**(लॉट सं० 03)**	₹ 8.80	3 माह	₹ 341.00	₹ 50.00				बी एवं उच्चतर

क. प्रत्येक निविदा के साथ उपरांकित तालिका में उल्लिखित निविदा प्रपत्र का अप्रत्यर्पणीय शुल्क (नॉन-रिफण्डेबल फीस) नगद/राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जोकि **अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड, शामली, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, यमुना कॉलोनी, मुजफ्फरनगर** के पक्ष में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य है।

ख. निविदादाता द्वारा बैंक से निविदा क्रय करने के लिए नियमानुसार बैंक द्वारा निर्धारित अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

ग. यह निविदा सूचना बेवसाईट (http://www.upgov.nic.in) तथा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० की बेवसाईट (http://www.idup.upgov.t.in, http://www.irrigation.nic.in) पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र सिंचाई विभाग की वेबसाईट से भी डाउनलोड की जा सकती है, किन्तु इसकी लागत सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के नाम राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत ड्राफ्ट के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ ITD-1, ITD-2, ITD-3 व अन्य प्रपत्र/अभिलेखों के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। वेबसाईट से डाउनलोड कर प्राप्त किये गये निविदा प्रपत्र और सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में विक्रय हेतु उपलब्ध निविदा प्रपत्र में भिन्नता हो तो सम्बन्धित कार्यालयों में उपलब्ध निविदा प्रपत्र ही मान्य होगा।

घ. निविदादाता द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा में शासनादेशांक 622/23-12-2012-2ऑडिट/08टी०सी०-2, दिनांक 08/06/2012 के अनुसार अनुमानित लागत से 10% तक कम दरें (Below Rate) प्राप्त होने पर 0.50% प्रति 1% कम दर पर तथा अनुमानित लागत से 10% से अधिक कम दरें (Below Rate) प्राप्त होने पर 1% प्रति 1% कम दर पर परफॉर्मेन्स गारण्टी की अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा कराने के उपरान्त ही अनुबन्ध गठित किया जाएगा। निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

ङ. धरोहर राशि, एन.एस.सी./एफ.डी.आर./टी.डी.आर. अथवा नियमानुसार अनुमन्य अन्य प्रतिभूति के रूप में, जोकि **अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड, शामली, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, यमुना कॉलोनी, मुजफ्फरनगर** के पक्ष में बन्धक हो, निविदा-प्रपत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा।

नियम व शर्तें:-

1. निविदा की विस्तृत शर्तें निविदा-प्रपत्र के साथ उपलब्ध होंगी।
2. एक निविदादाता केवल एक ही निविदा क्रय कर सकता है और डाल सकता है।
3. ज्वाइन्ट वेन्चर की निविदा किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जाएगी।
4. निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
5. निविदा प्रपत्र उपर्युल्लिखित स्थानों से ठेकेदार स्वयं क्रय कर सकतें हैं अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को ठेकेदार द्वारा प्रदत्त प्राधिकार-पत्र, जिसमें प्रतिनिधि का हस्ताक्षर प्रमाणित किया गया हो, मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।
6. निविदादाता को निविदा प्रपत्र भली-भान्ति पढ़कर प्रपत्रों में अंकित निर्धारित स्थानों पर हस्ताक्षर करने होंगे।
7. निविदादाता द्वारा निविदा डालते समय प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी अथवा अन्य कारण शर्तों को पूर्ण न कर पाने/बाधित हो जाने के कारण निविदा न पड़ने पर विभाग का कोई उत्तरदायित्व न होगा।
8. निविदा प्रपत्र रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर के माध्यम से क्रय/जमा करने के इच्छुक पँजीकृत ठेकेदार निविदा प्रपत्र का मूल्य भेजकर प्राप्त कर सकेंगे तथा प्रत्येक प्रकार से पूर्ण व सीलड निविदा को इस प्रकार रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/मान्यता प्राप्त कोरियर सेवा द्वारा **अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल-गाजियाबाद, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, विक्टोरिया पार्क कॉलोनी, मेरठ** के कार्यालय में संगणक को प्राप्त करायी जाएगी, जो प्राप्त निविदाओं को तत्काल निविदा रजिस्टर में दर्ज़ करते हुए निविदा प्राप्ति का समय व दिनांक आदि अंकित कर सम्बन्धित अधिकारियों को यथासमय सूचित करेंगे, ताकि अन्य निविदाओं के साथ इस प्रकार प्राप्त निविदाओं को भी निविदा खुलने से पूर्व निविदा बॉक्स में डाला जा सके। प्रतिबन्ध यह रहेगा कि रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/मान्यता प्राप्त कोरियर द्वारा कार्यालय को प्रेषित निविदा प्रपत्र, निविदा प्राप्त करने की **निर्धारित अन्तिम तिथि से एक कार्य दिवस पूर्व कार्यालय समय में अपराह्न 5:00 बजे तक ही प्राप्त की जाएगी**। रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/मान्यत प्राप्त कोरियर सेवा में विलम्ब के कारण यदि कोई निविदा विलम्ब से प्राप्त होती है तो वह निविदा मान्य नहीं होगी, जिसके लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
9. वेबसाईट से ड्राईंग उपलब्ध न हो सकने की स्थिति में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय से ड्राईंग आदि प्राप्त कर सकेंगे।
10. समस्त इच्छुक निविदादाताओं को सुझाव दिया जाता है कि निविदा डालने से पूर्व समस्त विभागीय नियमों व शर्तों का संज्ञान लेते हुए कार्यस्थल का निरीक्षण अवश्य कर लें।
11. निविदा खोले जाने के समय केवल न्यूनतम वर्गीकृत श्रेणी में पँजीकृत निविदादाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को ही कार्यालय परिसर में प्रवेश का अधिकार होगा।
12. निविदादाता को विगत तीन वित्तीय वर्षों में न्यूनतम किसी एक वर्ष में समान प्रकृति एवं लागत के शासकीय कार्यों के सम्पादन सम्बन्धी अनुभव प्रमाण-पत्र, जोकि न्यूनतम अधिशासी अभियन्ता स्तर से विधिवत निर्गत किया गया हो, मूल रूप में उपलब्ध कराना होगा।
13. निविदादाता को आयकर पैन-कार्ड एवं विगत तीन वित्तीय वर्षों के आयकर रिटर्न की मूल प्रतियाँ तथा उनमें से किसी एक वित्तीय वर्ष के वार्षिक टर्नओवर की चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट द्वारा प्रमाणित बैलेंस-शीट भी जमा करनी होगी।
14. प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों का पहले यह परीक्षण किया जाएगा कि निविदादाता द्वारा IDT-1, IDT-2, IDT-3 तथा निर्धारित प्रतिभूति धनराशि और अनुभव प्रमाण-पत्र ठीक-ठीक उपलब्ध कराये गए हैं या नहीं। इसमें किसी प्रकार की कमी या असन्तोषजनक होने की सिथति में निविदादाता द्वारा दी गयी दरें तुलनात्मक विवरण में अंकित नहीं की जाएगी।
15. निविदादाता को रु० 100.00 के नॉन-ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर एक रुपये का रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि उसके द्वारा निविदत्त दरें 90 दिवस तक मान्य होंगी। 90 दिवस से पूर्व निविदा/ऑफर वापिस लेने पर धरोहर धनराशि विभाग द्वारा जब्त कर ली जाएगी। अनुबन्ध के समय नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी जमा करनी होगी।
16. अनुबन्ध के समय कार्य की अनुमानित लागत के 10% राशि के समतुल्य जमानत राशि एन.एस.सी./एफ.डी.आर./टी.डी.आर. अथवा नियमानुसार अनुमन्य अन्य प्रतिभूति के रूप में, जोकि **अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड, शामली, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, यमुना कॉलोनी, मुजफ्फरनगर** के पक्ष में बन्धक हो, जमा करनी होगी।

17. कोषागार से सत्यापित स्टाम्प प्रपत्र ही मान्य होंगे।

18. यदि कोई निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव/असम्यक् असर डालता है तो सम्बन्धित निविदादाता की दरों के आधार पर कार्य की आकलित लागत के प्रथम न्यूनतम होने की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है।

19. चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र व स्वघोषणा प्रमाण-पत्र के फर्जी या गलत पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जाएगी तथा सम्बन्धित ठेकेदार का नाम इस कारण तत्काल संविदा काली सूची में दर्ज़ कर दिया जाएगा।

20. अनुबन्ध गठित होने के पश्चात् भी यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि नियम व शर्तों का किसी भी स्तर पर उल्लंघन किया गया है तो ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निरस्त किया जाएगा।

21. यदि ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार कार्य प्राप्त करने के लिए कार्य की अनुमानित लागत से अत्यन्त कम दरें दे दी जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी को यह आशंका हो कि ठेकेदार द्वारा साभिप्राय कम दरें दी जा रही हैं और इस प्रकार गुणवत्ता के साथ मानकों के अनुरूप कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं हो पायेगा तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह निविदादाता से कम दरें देने का विस्तृत विवरण मांगे। यदि आशंका की पुष्टि हो जाती है कि निविदादाता द्वारा साभिप्राय ऐसा किया जा रहा है तो गुण-दोष (**Merit**) के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निविदा निरस्त कर धरोहर धनराशि जब्त की जा सकती है।

22. यह संज्ञान में आने पर कि किसी निविदादाता द्वारा अन्य सम्भावित निविदादाता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गयी हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो, तो भी उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।

23. कोई निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज़ हो, वह निविदा-प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।

24. राज्य बार कौंसिल में पँजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा-प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे।

25. निविदादाता, जिनका सम्बन्धी अथवा उनकी पत्नी का कोई निकट सम्बन्धी (प्रथम रक्त सम्बन्धी अथवा उनकी पत्नी खण्डीय लेखाधिकारी के रूप में कार्यरत हो अथवा अधीक्षण अभियन्ता स्तर से अवर अभियन्ता स्तर तक (दोनों को सम्मिलित करते हुए) कार्यदायी खण्ड/मण्डल में कार्यरत होगा, वह निविदा डालने के लिये योग्य नहीं होगा। निविदादाता द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र भी दिया जाएगा कि, जिसमें उसके उन सम्बन्धियों के नाम तथा पदनाम का उल्लेख होगा, जोकि कार्यदायी खण्ड एवम् उससे सम्बन्धित मण्डल में कार्यरत हों।

26. कोई राजपत्रित अभियन्ता अथवा राजपत्रित अधिकारी, जोकि राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के प्रशासकीय विभाग में कार्यरत हो, सेवा-निवृत्ति के उपरान्त दो वर्ष पश्चात् तक बिना सरकार की अनुमति के ठेकेदारी के काम के लिये प्रतिबन्धित होंगे। ऐसी स्थिति में यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि/कर्मचारी ने निविदा डालने से पहले राज्य सरकार से अनुमति नहीं ली है तो उसका ठेका निरस्त किया जा सकता है। निविदादाता द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

27. कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा घटाई/बढाई जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

28. नियमानुसार देय वैट, आयकर, श्रमिक उपकर एवं रॉयल्टी की कटौती बीजक से की जाएगी।

29. निविदादाता को श्रमिक कार्यालय में पँजिकरण का प्रमाण-पत्र मूल रूप में प्रमाणित छाया-प्रति सहित प्रस्तुत करना होगा।

30. कार्यस्थल के निकट अवस्थित सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा अन्य विभागों की सँरचनाओं की सुरक्षा का पूर्ण दायित्व ठेकेदार का होगा। सभी सँरचनाओं की सुरक्षा हेतु **Engineer-in-charge** का निर्देश मानने के लिए ठेकेदार बाध्य होगा, अन्यथा की स्थिति में क्षतिपूर्ति का पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।

अधीक्षण अभियन्ता
ड्रेनेज मण्डल-गाज़ियाबाद